भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 264

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

महाराष्ट्र में प्याज किसानों को सहायता

264. श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः

श्री संजय दिना पाटीलः

श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः

श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के कारण महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्याज उत्पादक क्षेत्रों, यथा-नासिक, पुणे और डिंडोरी जिलों के किसानों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है और उनमें से कई ने कम लाभकारी मूल्य और वित्तीय संकट के कारण अपनी खेती का उपजाऊ क्षेत्र डेढ़ एकड़ से घटाकर केवल आधा एकड़ कर दिया है;

(ख) क्या प्याज का वर्तमान बाजार मूल्य संयुक्त खेती और परिवहन लागत से अत्यधिक कम है और यदि हाँ, तो उक्त अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की नासिक, पुणे और डिंडोरी जिलों में किसानों द्वारा मजबूरी में बिक्री को रोकने के लिए नैफेड या अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से लाभकारी मूल्य पर प्याज खरीदने की कोई योजना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत खरीदे गए प्याज की मात्रा कितनी है और महाराष्ट्र में उक्त खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के प्याज किसानों को प्रदान किए गए किसी भी समर्थन मूल्य, परिवहन सब्सिडी या निर्यात सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार प्याज विपणन में दीर्घकालिक सुधारों पर विचार कर रही है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसी व्यवस्था या मूल्य में उतार-चढ़ाव के लिए फसल बीमा शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार नासिक जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों में शीतागार और भांडागार क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है ताकि कीमतों में सुधार होने तक किसानों को अपना स्टॉक रखने में मदद मिल सके?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): देश में प्याज का उत्पादन मौसमी प्रकृति का है और इसकी कीमत मौजूदा मांग और आपूर्ति के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। महाराष्ट्र राज्य में प्याज का अनुमानित क्षेत्रफल वर्ष 2023-24 में 6.67 लाख हेक्टेयर की तुलना में वर्ष 2024-25 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 46% बढ़कर 9.78 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्याज का अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) जून, 2024 के लिए 279.2 और जून, 2025 के लिए 185.7 दर्ज किया गया, जिससे मुद्रास्फीति की दर -33.49% दर्ज की गई।

सरकार प्याज उगाने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए उचित नीतिगत उपाय अपनाती है। सरकार, उन कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) का कार्यान्वयन करती है, जो नाशवान प्रकृति की हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) में शामिल नहीं हैं। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य, इन वस्तुओं के उत्पादकों को चरम आवक अवधि के दौरान बम्पर फसल के समय, कीमतों के आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से कम होने की स्थिति में, मजबूरी में की गई बिक्री करने से बचाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। यह योजना, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर लागू की गई है, जो इसके कार्यान्वयन में होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, तो 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 25 प्रतिशत) वहन करने के लिए तैयार हैं।

सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 सीज़न से बाज़ार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के अंतर्गत भावांतर भुगतान (पीडीपी) नामक नया घटक शुरू किया गया है ताकि नाशवान फसलों के किसानों को बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास विकल्प है कि वे फसल की भौतिक खरीद करें या किसानों को एमआईपी और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करें।

इसके अतिरिक्त, 2024-25 सीज़न से, सरकार द्वारा किसानों के हित में, उत्पादक राज्यों से उपभोक्ता राज्यों तक परिवहन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को टॉप फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के स्टोरेज (3 महीने तक) और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत एक और घटक जोड़ा गया है।

उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के तहत नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से बफर स्टॉक का निर्माण करने के लिए किसानों से प्याज की खरीद की जा रही है। सरकार द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा 1.50 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद करने के लक्ष्य के साथ, रबी 2025 के दौरान 3 लाख मीट्रिक टन प्याज का बफर लक्ष्य तय किया गया है। 16 जुलाई, 2025 तक कुल 1,07,365.26 मीट्रिक टन रबी प्याज की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 1,06,228.13 मीट्रिक टन केवल महाराष्ट्र से खरीदा गया है। पिछले तीन वर्षों- 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत खरीदे गए प्याज की मात्रा क्रमशः 2.38 लाख मीट्रिक टन (नेफेड रबी), 6.38 लाख मीट्रिक टन (नेफेड/एनसीसीएफ रबी+खरीफ) और 4.65 लाख मीट्रिक टन (नेफेड/एनसीसीएफ रबी) है।

सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए 1 अप्रैल 2025 से प्याज पर से 20% निर्यात शुल्क हटा दिया गया है।

(च): न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में फसलों का शामिल होना अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अपेक्षाकृत लंबी शेल्फ लाइफ, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसल, व्यापक उपभोग की वस्तु, खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तु आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में अपरिहार्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को होने वाले नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा की परिकल्पना की गई है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्याज की फसल को अधिसूचित किया जा सकता है।

(छ): समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत, प्याज सहित शीघ्र खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजिरेटेड परिवहन वाहनों की स्थापना हेतु ऋण-आधारित सहायता प्रदान की जाती है। बागवानी उत्पादों के नुकसान को रोकने और बेहतर मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए, बाज़ार इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, कूल चेम्बर सहित स्थिर/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना, संग्रहण, छंटाई/ग्रेडिंग, पैकिंग आदि हेतु कार्यात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। 5 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाली प्रत्येक इकाई के लिए आनुपातिक आधार पर लागत के 50% की दर से सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है।
